विविध **बैंक प्रकरण संख्या 94/2020**(GCMS : 2020/00249) **पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–धान मंडी, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर –प्रो. निशांत खुराना प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक,** कार्यालय SASTRA सुखाड़िया सर्किल, श्रीगंगानगर **बनाम 1. श्रीमति बिमला रानी पत्नी श्री लाजपत राय** निवासी वार्ड नं. 13, नजदीक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) **2. श्री लाजपत राय पुत्र श्री दरिया राम** निवासी वार्ड नं. 13 पुराना टेलीफोन एक्सचेंज, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) **3. श्री सोहन लाल पुत्र श्री ओम प्रकाश** निवासी 33–सी ब्लॉक नजदीक न्यू होप मॉडल स्कूल, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण बिमला रानी, लाजपत राय एवं सोहन लाल द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी लाजपत राय पुत्र श्री दरिया राम द्वारा अचल सम्पत्ति मकान नं. 41 एच ब्लॉक(क्षेत्रफल 20′ गुणा 50′ वर्गफीट), श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई है, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया राशि बैंक में जमा करवा दी है इसलिए वे अब इस प्रकरण को आगे कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करता है, और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.11.2020 को [illegible] प्रार्थी पंजाब नेशनल

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक, शाखा धान मंडी, श्रीविजयनगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण बिमला रानी, लाजपत राय एवं सोहन लाल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी लाजपत राय पुत्र श्री दरिया राम द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं. 41 एच ब्लॉक(क्षेत्रफल 20' गुणा 50' वर्गफीट), श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि **ऋणी द्वारा बकाया राशि बैंक में जमा करवा दी गई है और प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया है, जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 05.11.2020 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:21 IST
Reason: SelfAttested